न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—81 सन् 2022

रमेश प्रसाद गुप्ता वगै0.....................वादी।

बनाम

राजेन्द्र शर्मा वगैरह.................................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 04.11.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 05.10..2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 07 महावीर शर्मा की मृत्यु दिनांक 15.09.2023 को हो गई है जिनका नाम कलमजद करना आवश्यक है तथा उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 07 महावीर शर्मा का नाम कलमजद करके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 07 महावीर शर्मा थे जिनकी मृत्यु दिनांक 15.09.2023 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ समय सीमा के अंतर्गत से दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 05.10.2023 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।